प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 20.05.2025

- ❖ **महिला सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु कानपुर देहात पुलिस द्वारा की जा रही कड़ी कार्यवाही।**
- ❖ **नाबालिग बालिका को बहला-फुसला कर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को थाना सट्टी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- ❖ **थाना सट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 72/2024 धारा 137(2)/87/61(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित था अभियुक्त।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 05.11.2024 को वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना सट्टी पर मु0अ0सं0 72/2024 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस बनाम 04 नफर नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। जिसमें हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में पैनल द्वारा पीड़िता का आयु परीक्षण हुआ, जिसमें पीड़िता की आयु 17 वर्ष पायी गयी। मुकदमा उपरोक्त में पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट अवलोकन तथा बयान अतर्गत धारा 180 व 183 बीएनएसएस के अवलोकन से व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी थी। थाना सट्टी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद वांछित अभियुक्त राशिद पुत्र आशिक निवासी ग्राम डकोर थाना डकोर जनपद जालौन उम्र करीब 21वर्ष को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 20.05.2025 को समय 14.05 बजे ग्राम अफसरिया थाना क्षेत्र सट्टी जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त गणो के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का विवरण -

1. राशिद पुत्र आशिक निवासी ग्राम डकोर थाना डकोर जनपद जालौन उम्र करीब 21वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 72/2024 धारा 137(2)/87/61(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना सट्टी पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजीव कुमार,
2. का0 901 दीपक दीक्षित,